

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 941

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2016/माघ 21, 1937

No. 94]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2016/MAGHA 21, 1937

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2016

सा. का.नि. 159(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतदारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1989 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

- 1.(1) इन नियमों का नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियम 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1989 में अनुसूची-II के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी,अर्थात् :-

"अन्**सूची**-II

[नियम 2(2) (च) और (ट), 3(3), 5 (1) और 8 देखें]

भारतीय सर्वेक्षण विभाग समूह 'क' सेवा (सिविलियन स्ट्रीम)

पदकानास	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ समयमान (उप अधीक्षक सर्वेक्षक)	42* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 (रु. 15600-39100) रु. + ग्रेड वेतन रू. 5400	लागू नहीं होता	भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के वर्ष, की 1 जनवरी को 21 और 30 वर्ष के बीच अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित। (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेश के अनुसार केवल विभागीय अभ्यार्थियों को पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

- 1			397	
	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधी भर्ती किए जाने	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
•	लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अईताएं।	वाले व्यक्तियों के लिए	यदि कोई हो।	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन
	•	विहित आयु एवं शैक्षिक		द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
		वर्हताएं पदोन्नत		जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
		व्यक्तियों के मामलें में		9
		लागू होंगी।	, =	
	(7)	(8)	(9)	(10)
	(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित
	राज्य अधिनियम द्वारा निगमित	*	,	इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के आधार पर
١	विश्वविद्यालय अथवा संसद के अधिनियम			सीधी भर्ती
	द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्था		(8)	
	अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग			
	अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन			
	घोषित मानित विश्वविद्यालय से			B =
l	इंजीनियरी में स्नातक ;			•
	या			*
	(ख) इंजीनियरों की संस्था (भारत) की			
	संस्थागत परीक्षा के खंड क और ख			w a
L	(सिविल इंजीनियरी) में उत्तीर्ण;		3	

	*	
या		16
(ग) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या		
महाविद्यालय अथवा संस्था से इंजीनियरी		Y., 2
में डिग्री अथवा डिप्लोमा और ऐसी शर्तों		
के अधीन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस	**	
प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है और		
इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए संघ	The Mark Sand Control of the Control	
लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विहित ऐसी	THE CAMPARELL CROSS OF THE STATE OF	
अन्य अर्हताएं।	Lune 1 Naves - John Conse	h
टिप्पणी-भारतीय सर्वेक्षण विभाग की	1 10 44 MANA	
समूह 'क' सेवा, संघ लोक सेवा आयोग	And the second s	
द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा		
की श्रेणी-I-सिविल इंजीनियरिंग में	E 12 Court Summer According	n 1 4
स्वीबद्ध होगी।		

पदोश्वति या प्रतिनियुत्ति/आमेलन द्वारा भर्ती	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती
की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति अथवा		करने में संघ लोक सेवा
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।		आयोग से परामर्श किया
	2 5.3	जाना है।
ž (11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय पृष्टिकरण समिति (पृष्टिकरण पर विचार	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक
	करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	सेवा आयोग से परामर्श करना
en a gradien die Sterrier	1: -भारत के महासर्वेक्षक -अध्यक्ष	अनिवार्य है"।
The transfer of the second of	2. अ. संयुक्तः सचिव, अव्यवस्थान - सदस्य १०	and an experience
ા કે કે જાણકો પાલે છે. ૧૯ - માના સામાના પ્રાથમિક	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	100 00
tion of the department of	3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय -सदस्य	

नोट: मूल नियमों को दिनांक 26 मई, 1989 की अधिसूचना सं. सा. का.नि. 437 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया तथा दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 264 के माध्यम से अंततः संशोधित किया गया।

[फा. सं.-एसएम/01/09/2011)] अनीता चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Department of Science and Technology) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2016

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Survey of India (Group 'A') Service Rules, 1989, namely:-

- 1.(1) These rules may be called the Survey of India (Group 'A') Service (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Survey of India (Group 'A') Service Rules, 1989, for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE II

[See rules 2(2)(f) and (k), 3(3), 5(1) and rule 8]

SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE (CIVILIAN STREAM)

Name of post		Number of posts	Classification			Age limit for direct recruits
			§ #	grade pay or pay scale	selection post or	recruits
	1	Ŀ		pay scare	non-	* al
	ļ	94			selection	19,5 ¹ , 1 2
				_%	post	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Scale		Central Civil	Pay band-3,		Between 21 and 30 years as
(Deputy	~	(2016)	Service,	Rs.15600-39100	applicable	on the 1st January of the
Superintending	20.0	*Subject to variation	Group !A'	plus grade pay		year of Indian Engineering
Surveyor)		dependent on work	Gazetted	of Rs.5400		Service Examination or as
0		load.	Non-Ministerial		1.9-3	advertised by Union Public
						Service Commission.
	-1					(Relaxable for
			1	. (4		Departmental candidates
		, A		-		only up to five years in
5900			11 11 11			accordance with the
1		2 22 14	3 2 3			instructions or order issued
		* .	- V	3 8		by the Government from
(*)			100	2,847.6		time to time.)

Educational and other qualification required for direct	Whether age and educational	r exten or property	
	landifications prescribed for	if any	whether by direct
	qualifications prescribed for direct recruits will apply in		recruitment or by
recruits	the case of promotees		promotion or by
	the case of promotees		deputation/absorption
			and percentage of the
		72	vacancies to be filled by
			various methods.
	(0)	(9)	(10)
(7)	(8)	Two years	Direct recruitment on the
(A) Degree in Engineering from a	Not applicable	I wo years	basis of the Engineering
University incorporated by any			Services Examination
Central Act or State Act or any other			held by Union Public
educational institution established by	80		Service Commission.
an Act of Parliament or declared to be			Service Commission.
deemed as University under section 3		(a)	
of the University Grants Commission			
Act, 1956;	Į.		.
or			ŕ
(B) Pass in Section A and B (Civil	**.		· 1
Engineering) of the Institution			
examinations of the Institution of			l
Engineers (India);	1	1	
or			
(C) Degree or Diploma in Engineering	g		
from such Foreign University or			_
College or Institution and under such			
conditions as may be recognised by		180	
the Central Government for the			
purpose and such other qualifications		3.	送
as prescribed by Union Public Service	e	*:	
Commission for Engineering Services	s		
Examination.	-	ì	*
		<u> </u>	

Note:- Survey of India Group 'A'		T
Service should be listed in the		
Category I - Civil Engineering in		
Engineering Service Examination		
conducted by the Union Public	18	[
Service Commission.].

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)		
77 77 77	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of:- (1) Surveyor General of India - Chairman	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion".
	(2) Joint Secretary, - Member Department of Science and Technology (3) Joint Secretary, - Member Ministry of Defence	

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 437 dated the 26th May, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 264 dated the 12th November, 2013.

[F. No. SM/01/09/2011] ANITA CHAUHAN, Jt. Secy.